रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 1976/माघ 27, 1897
No. 42] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 1976/MAGHA 27, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th February 1976

SUBJECT.—*Revalidation of import licences issued to the canalising agencies.*

No. 19-ITC(PN)/76.—Attention is invited to para 251(13) of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1975-76 as amended *vide* Public Notice No. 26-ITC (PN)/75 dated the 23rd April, 1975, in terms of which import licences for raw materials/components/spares issued prior to 1-4-1975 to actual users and registered exporters, on General Currency Area or Rupee Payment Area and which have an initial validity period of 18 months, will automatically be deemed to be valid for 24 months from the date of issue, provided these licences have not already been revalidated beyond their initial validity period of 18 months and were valid on 31-3-1975.

2. It is clarified that the aforesaid provisions of automatic revalidation are also applicable to the import licences issued to the canalising agencies like M.M.T.C., S.T.C. and SAIL International Limited.

P. K. KAUL,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1976

विषय.—सरणीबद्ध करने वाले अभिकरणों को जारी किए गए आयात लाइसेंसों का पुनर्वैधीकरण ।

सं० 19-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76.—सार्वजनिक सूचना संख्या 26-आईटीसी (पीएन)/75, दिनांक 23 अप्रैल, 1975 द्वारा यथा संशोधित आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैंडबुक 1975–76 की कंडिका 251 (13) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार 1–4–1975 से पूर्व कच्चे माल/संघटकों/फालतू पुर्जों के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं एवं पंजीकृत निर्यातकों को सामान्य मुद्रा क्षेत्र के लिए या रुपया भुगतान क्षेत्र के लिए जारी किए गए लाइसेंस और जिन की आरम्भिक वैधता अवधि 18 मास की है वे जारी करने की तारीख से 24 मास के लिए स्वतः वैध समझे जाएंगे बशर्ते कि ऐसे लाइसेंस 18 मास की आरम्भिक वैधता अवधि से परे पहले से ही पुनर्वैध नहीं किए गए हैं और वे 31–3–1975 को वैध थे ।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वतः पुनर्वैधीकरण की उपर्युक्त व्यवस्थाएं सरणीबद्ध करने वाले अभिकरणों, जैसे खनिज तथा धातु व्यापार निगम, राज्य व्यापार निगम एवं सेल अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंसों के लिए भी लागू है ।

पी० के० कौल,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976